

**आदेश**

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 63/आ0प्र0, दिनांक 20.12.18 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़- चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्राकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल मो0 2038.75 लाख (बीस करोड़ अरतीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र आवंटन की स्वीकृति। प्राप्त आवंटन में से मुंगेर जिला को वर्तमान में मो0 44.30 लाख (चौवालीस लाख तीस हजार) रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि प्राप्त हुई है।

प्राप्त आवंटन मो0 44.30 लाख (चौवालीस लाख तीस हजार) रुपये मात्र को निम्नवत् अंचल अधिकारियों, मुंगेर जिला को उपावंटित किया जाता है :-

क्रमांक	अंचल का नाम	उपावंटित राशि
1	2	3
01	अंचल अधिकारी, जमालपुर	12,00,000.00 (बारह लाख) रू0
02	अंचल अधिकारी, टेटियाबम्बर	4,00,000.00 (चार लाख) रू0
03	अंचल अधिकारी, बरियारपुर	8,00,000.00 (आठ लाख) रू0
04	अंचल अधिकारी, संग्रामपुर	20,00,000.00 (बीस लाख) रू0
कुल उपावंटित राशि		44.00 (चौवालीस लाख) रुपये मात्र

आदेश दिया जाता है कि वज्रपात/गंगा नदी में डूबने/गैर प्राकृतिक आपदा (सामूहिक दुर्घटना) से मृत व्यक्तियों के परिजनों द्वारा निम्नवत् आवश्यक कागजात यथा

1. स्थानीय थाने में प्राथमिकि दर्ज कराई है अथवा नहीं।
2. मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है अथवा नहीं।
3. मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है अथवा नहीं।
4. राजस्व कर्मचारी की जाँच प्रतिवेदन है अथवा नहीं।

इन सभी बिन्दुओं पर पूर्ण जाँचोपरांत मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिये स्वयं अंचल अधिकारी जिम्मेवार होंगे।

वज्रपात/गंगा नदी में डूबने/गैर प्राकृतिक आपदा (सामूहिक दुर्घटना) से मृत/मृतक एवं उनके आश्रितों की विवरणी, निम्न प्रकार है :-

क्र0	मृतक का नाम एवं पूरा पता	मृतक का उम्र	मृत्यु की तिथि	मृतक के आश्रित का नाम	मृत्यु का कारण	देय राशि
1	2	3	4	5	6	7
01.	स्व0 अनिक यादव, पे0- स्व0 सरयुग प्रसाद, ग्राम- मुसाहेब टोला, पो0- सिधिया, थाना- नयारामनगर, अंचल- जमालपुर, जिला- मुंगेर।	30 वर्ष	28.07.18	मसो0 प्रेमा देवी (पत्नी)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख
02.	स्व0 प्रिंस कुमार उर्फ प्रभात रंजन, पे0- श्री बरुण मंडल, सा0-गॉंधीपुर, पो0+थाना+अंचल- बरियारपुर, जिला- मुंगेर	20 वर्ष	10.04.17	श्री बरुण मंडल (पिता)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख
03.	स्व0 मुरली मनोहर जोशी, पे0-श्री देवेन्द्र कुमार, ग्राम-सिधिया मुसाहेब टोला, पो0-सिधिया, थाना- नयारामनगर, अंचल- जमालपुर, जिला- मुंगेर।	20 वर्ष	16.07.18	श्री देवेन्द्र कुमार (पिता)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख
04.	स्व0 वज्रभानु कुमार, पे0- श्री प्रमोद कुमार, ग्राम- पैरुमंडल टोला, पो0- बरियारपुर, अंचल- जमालपुर, जिला- मुंगेर।	08 वर्ष	05.07.18	श्री प्रमोद कुमार (पिता)	गंगा नदी में डूबने से	4.00 लाख
05.	स्व0 प्रमोद कुमार सिंह, पे0- रामनंदन सिंह, ग्राम- मिल्की, पो0+थाना- गंगटामोड़, अंचल- टेटियाबम्बर, जिला- मुंगेर।	40 वर्ष	31.07.18	मसो0 सुषमा कुमारी सिंह (पत्नी)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख
06.	स्व0 निलेश कुमार मंडल, पे0 इन्द्रदेव मंडल, सा0-मालचक, थाना- हरपुर, अंचल-संग्रामपुर, जिला- मुंगेर।	19 वर्ष	09.11.18	श्री इन्द्रदेव मंडल (पिता)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख
07.	स्व0 अमित कुमार, पिता- बुलरी तांती, सा0- मालचक, थाना-हरपुर, अंचल-संग्रामपुर, जिला- मुंगेर।	19 वर्ष	09.11.18	श्रीमति साखो देवी (माता)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख
08.	स्व0 रोहित कुमार तांती, पिता- संजू तांती, सा0-मालचक, थाना- हरपुर, अंचल-संग्रामपुर, जिला- मुंगेर।	18 वर्ष	09.11.18	श्री संजू तांती (पिता)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख
09.	स्व0 अंकित कुमार, पे0- राजकुमार राय, सा0- मौजमपुर, थाना-अंचल- संग्रामपुर, जिला- मुंगेर।	18 वर्ष	09.11.18	श्री राजकुमार राय (पिता)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख
10.	स्व0 विशाल कुमार, पे0- जयराम ठाकुर, सा0- रामपुर, थाना+अंचल- संग्रामपुर, जिला- मुंगेर।	17 वर्ष	09.11.18	श्री जयराम ठाकुर (पिता)	सामूहिक सड़क दुर्घटना	4.00 लाख

11.	स्व0 रौशन मंडल, ग्राम-कुमारपुर, पं0- पड़िया, थाना-अंचल-बरियारपुर, जिला- मुंगेर।	59 वर्ष	10.04.18	मसो0 सच्ची देवी (पत्नी)	वज्रपात	4.00 लाख
-----	---	---------	----------	-------------------------	---------	----------

1. अंचल अधिकारी, जमालपुर/बरियारपुर/टेटियाबम्बर एवं संग्रामपुर को आदेश दिया जाता है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 एवं 1891/आ0प्र0, दिनांक 16.07.18 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि "घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।" संतुष्ट होने के उपरांत राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 4310/आ0प्र0, दिनांक 11.12.18 (विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में उक्त अनुग्रह अनुदान की राशि PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे आपदा पीड़ितों के खाते में हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय।
4. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।
5. पूर्व उपावंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
6. उपावंटित राशि का निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।
8. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

760 -  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक .....11...../आ0प्र0, दिनांक 07/01/2019

- प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को आवंटन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, जमालपुर/बरियारपुर/टेटियाबम्बर एवं संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि की निकासी यथाशीघ्र कर मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान अभिलम्ब करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/खड़गपुर एवं तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि मुंगेर के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के आवंटन पत्रांक 63/आ0प्र0, दिनांक 20.12.18 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

05/01/19